

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1339—पीबीआर/2015 विरुद्ध आदेश दिनांक 26—05—2015 पारित द्वारा अपर तहसीलदार वृत्त रायरु जिला ग्वालियर के प्रकरण कमांक 15/2012—13/अ—6

कन्हैया लाल तिवारी पुत्र स्व.श्री शांतीकुमार तिवारी
निवासी पुरानी छावनी ग्वालियर म0प्र0

..... आवेदक

विरुद्ध

महेन्द्रसिंह यादव पुत्र श्री सीताराम यादव,
निवासी जडेझुआ कला पिन्टोपार्क, मुरार,
ग्वालियर

..... अनावेदक

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक—आवेदक
श्री महेन्द्रसिंह, अभिभाषक—अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: ३/३/१६ को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल “संहिता” कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर तहसीलदार वृत्त रायरु जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26—05—2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गंगापुर तहसील व जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 470 रकवा 1.024 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 472 रकवा 0.324 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 473 रकवा 0.024

[Signature]

[Signature]

हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 475 रकवा 0.700 हेक्टेयर एवं सर्वे नम्बर 424 रकवा 0.042 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकवा 3.114 हेक्टेयर में से 1/6 हिस्सा यानि 2.519 हेक्टेयर उसके द्वारा पंजीकृत विक्य पत्र दिनांक 13-7-2012 से क्य की गई है, अतः उक्त भूमि पर उसका नामान्तरण किया जाये। नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/12-13-अ-6 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन भूमि संयुक्त खाते की भूमि है और उसमें सुभाष पाठक एक हिस्सेदार है एवं उसके द्वारा न्यायालय को धोखाधड़ी में रखकर सभी वारिसानों के नामान्तरण नहीं करते हुये अकेले अपना नामान्तरण करा लिया गया है, अतः ऐसे नामान्तरण के आधार पर विक्रेता सुभाष पाठक को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं, और उसके द्वारा निष्पादित पंजीकृत विक्य पत्र से अनावेदक को भी स्वत्व प्राप्त नहीं होते हैं। इस संबंध में आवेदक द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है, अतः अपील के निराकरण तक नामान्तरण की कार्यवाही नहीं की जाये। नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 26-5-15 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई। नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीनभूमि पैतृक भूमि है और जिसका आज दिनांक तक कोई बटवारा नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में सुभाष पाठक को प्रश्नाधीन भूमि विक्य करने का कोई अधिकार नहीं था, अतः ऐसे अवैधानिक विक्य पत्र के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही किये जाने में नायब तहसीलदार द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की जा रही है। यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय में अपील लंबित है, जिसमें दिनांक 10-7-15 नियत है एवं निगरानीकर्ता उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि में हितबद्ध पक्षकार है, ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार अनावेदक के पक्ष में नामान्तरण कार्यवाही करने हेतु तत्पर है, क्योंकि नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण में साक्ष्य हेतु दिनांक

9—6—15 नियत कर दी गई है और आवेदक को वरिष्ठ न्यायालय में कार्यवाही किये जाने का अवसर तक नहीं दिया गया है। उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्य की गई है और पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण करने हेतु राजस्व न्यायालय बाध्य है। यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय में अपील प्रचलित है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर विक्रेता सुभाष पाठक का नामान्तरण हो चुका है, जिसे आवेदक द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है, इस कारण वह अंतिम हो गया है, अतः अनावेदक के पक्ष में प्रचलित कार्यवाही में पूर्व नामान्तरण को अपेक्षित नहीं किया जा सकता है। उनके द्वारा नायब तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

तर्क के समर्थन में 1993 आरएन 365 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक की ओर से प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्य किये जाने के आधार पर नामान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में आवेदक की ओर से इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि प्रश्नाधीन भूमियों संयुक्त खाते की भूमि है और सह खातेदार सुभाष पाठक को भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमियों का बटवारा नहीं हुआ है। तहसीलदार द्वारा आवेदक की उक्त आपत्ति को निरस्त किया गया है, जबकि तहसीलदार को चाहिये कि वह प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार बनाकर अपना पक्ष रखने का अवसर देते, इस प्रकरण में आवेदक भी हितबद्ध पक्षकार है। अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह प्रश्नाधीन भूमियों से संबंधित सभी

हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार बनाकर सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये प्रकरण का विधिवत् निराकरण करें।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही कर प्रकरण का निराकरण करें।



(मनोज गोयल)

अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर